राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक प. 5(53)ग्रावि/अनु–5/SPMRM/VC Meeting/2019 जयपुर दिनांक :– 26/7/19

–::वीडियों कॉन्फ्रेसिंग बैठक कार्यवाही विवरण::–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं योजना प्रभोरियों के साथ विडियों कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 18.07.2019 के क्रम में सचिवालय स्थिति वी.सी. कक्ष से प्रातः 11.00 बजे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की समीक्षा अन्य योजनाओं के साथ की गई। वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में जिला कलक्टर भी उपस्थित रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के क्रम में निम्नानुसार समीक्षा कर निर्देश प्रदान किये गये :–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा योजना के कियान्वयन से संबंधित जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.05.2019, 11.05.2017, 02.04.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशों जिन्हे जिलों को विभागीय पत्र दिनांक 09.07.2019 के द्वारा प्रेषित है, के संबंध में विस्तृत चर्चा कर अवगत कराया गया कि
   - स्वीकृत आई.केप. व डीपीआर में +/- 50 प्रतिशत तक विचलन के कार्य की सीमा के प्रथम एवं द्वितीय फेज के कार्य जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एस.एल.ई.सी.) से अनुमत होने पर प्रारम्भ कराये जा सकते है, को विभागीय पत्र दिनांक 10.07.2019 एवं 23.07.2019 द्वारा अनुमत कर दिये गये है, के कार्यों को इसी माह प्रारम्भ कर योजना के निर्धारित अवधि 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे। उक्त कार्यों के संपादन में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों व विभागीय निर्देश दिनांक 06.08.2018 की पालना करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.04.2019 की पालना भी सुनिश्चित कराई जावे। जिसके अनुसार सभी सम्पतियां जी.ओ. टेग की जावे, किसी भी एस.एच.जी./कम्यूनिटी आर्गेनाईजेशन को 30 प्रतिशत से अधिक की निधि अनुदान के रूप में स्वीकृत नहीं की जावे, आधारभूत संरचनाओं की स्वीकृति से पूर्व संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति बाबत् कन्वर्जेंस राशि निधि परिचालन एवं देख–रेख हेतु प्राप्त की जावे एवं इसी प्रकार सीजीएफ की राशि से निर्मित निधियों को के क्रम में ओ एण्ड एम प्लानिंग करवाते हुए निर्मित निधि को संबंधित विभाग को विधिवत हस्तानांतरित की जावे।
   - प्रथम एवं द्वितीय फेज के जिन कम्पोनेट में सीजीएफ राशि +/- 50 प्रतिशत तक की विचलन सीमा के बाहर है, के कार्यों की समीक्षा कर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 29.07.2019 तक जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत भिजवाये जावे। यदि आवश्यक हो तो ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर आयोजित अनुभव साझा कार्यशाला में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणों के परिपेक्ष स्थानीय परिस्थितियों, व योजना के मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, इन्टर कनेक्टिविटी, 24*7 जलापूर्ति व ठोस व तरल अपशिष्ठ प्रबंधन आदि के मद्दे नजर परिवर्तित प्रस्ताव भिजवाये जावे।
2. तृतीय फेज की डीपीआर उपरोक्त दिशा–निर्देशों का समायोजन कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत 7 दिवस में प्रेषित की जावे।
3. योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 के मद्दे नजर जिला स्तर से विशेष समीक्षा कर योजना के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य प्राप्त किये जावे।

Scanned by CamScanner

4. जिला बांसवाडा में स्वीकृत द्वितीय फेज के प्राप्त परिवर्तन प्रस्ताव के अनुसार नये क्षेत्र का सर्वे कर आवश्यकताओं आदि का आंकलन कर व अन्य सूचनाओं को संकलित करवाने का कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर लिया जावे। जिससे आगामी राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के यहां से प्रस्ताव अनुमोदन होने पर आई.केप व डीपीआर का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

सभी जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजीविका योजना के साथ कन्वर्जेंस के कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में अपने स्तर पर व योजना प्रभारी राज्य स्तर पर बैठक आयोजित करे।

अन्त में योजना के क्रम में 31 मार्च, 2020 तक लक्ष्य अर्जित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्राविं)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (पी.पी.एण्ड एम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि।
6. जिला कलक्टर, भरतपुर, उदयपुर, नागौर, बाडमेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, जालौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाडा ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भरतपुर, उदयपुर, नागौर, बाडमेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, जालौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाडा ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (फेज–I) कांमा (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगुंदा (उदयपुर), बालोतरा (बाडमेर) एवं मकराना (नागौर) (फेज–II) दूदू (जयपुर), (अरनोद) प्रतापगढ़, (गढ़ी) बांसवाडा, (बीकानेर) बीकानेर, (रानीवारा) जालौर एवं (रामगढ़) अलवर (फेज–III) (पीलीबंगा) हनुमानगढ़, (सीमलवाडा) डूंगरपुर (छोटीसादडी) प्रतापगढ़, (बांसवाडा) बांसवाडा ।
9. उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ग्राविवि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता (ग्राविं)

Scanned by CamScanner